



कार्यक्रम  
जमा  
लिखित

हुकम या कार्यवाही मदे इनिशियल्स  
जमा 45 वर्ष 10/10/18  
दस्ता

नम्बर  
अहकाम जो इस हुकम  
की  
तामील में जारी हुए ।

जारी है। तहसीर तहसील का सपोर्या को  
जायी क्षेत्र संशोधित बंधारा लकीर तलक  
की जागी पत्रावली दिनांक 29/10/18 को  
पेश है।

411 -  
402/  
23/10/18

29/10/18 तहसील सपोर्या के पत्रावली LR/  
2018/3573 दिनांक 28/10/18 से संशोधित  
बंधारा लकीर तलक है। फलस्वरूप  
दिनांक संशोधित बंधारा लकीर  
अबुलगा पट्टिवाडी सं. 4 का नाम फाईनल  
निर्णय एवं डिफ़ी में फरीयाल पुजा कुन्डा  
के स्थान पर देवीलाल पुजा कुन्डा जारी  
किया जिसे जान के आदेश दिए जाते  
हैं। इसी फाउल संशोधित दिनांक  
पत्रावली दाखिल दफतर है।

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किरम	ता0दायरा	तारीख फाईनल निर्णय
53/13	दावा	11.12.13	29.06.18

जयराम पुत्र दीपा जाति बैरवा निवासी नहर का पुरा (खावदा) तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-वादी

बनाम

1. बबलू 2. पिन्दू पि0 कल्याण जातिगण बैरवा निवासी खावदा तहसील सपोटरा जिला करौली
3. कमला बैरवा कल्याण जाति बैरवा निवासी खावदा तह0 सपोटरा जिला करौली
4. बत्तीलाल पुत्र सुन्दर बैरवा निवासी चौड़ागांव तह0 सपोटरा जिला करौली
5. रामलड्डू पुत्र घूड्या 6. रुकमणी पत्नि बत्तीलाल 7. कलावती पत्नि किशनलाल 8. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मणलाल समस्त जातिगण बैरवा निवासी खावदा तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
9. शाखा प्रबन्धक एस0बी0बी0जे0 शाखा सपोटरा जिला करौली
10. शाखा प्रबन्धक पी0एन0बी0 शाखा अमरगढ तहसील सपोटरा जिला करौली
11. शाखा प्रबन्धक पी0एन0बी0 शाखा सपोटरा जिला करौली
12. उपपंजीयक तहसील सपोटरा जिला करौली
13. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-प्रतिवादीगण

## दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2018 फोलो अप कैम्प सपोटरा मे पेश हुई। प्रकरण को कैम्प कोर्ट मे रखा जाकर सुना गया। संक्षेप में वाद तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खावदा तहसील सपोटरा की आराजी विवादित वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी का बंटवारा वावत् किया गया दावा इस न्यायालय द्वारा वाद सुनवाई प्राथमिक निर्णय दिनांक 31.05.2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम तलब की गई।

तहसीलदार सपोटरा के पत्रांक एलआर/18/2178 दिनांक 29.06.18 द्वारा बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई, अवलोकन किया गया। दावा वादी मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाकर ग्राम खावदा तह0 सपोटरा की विवादित आराजीयात का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. वादी जयराम पुत्र दीपा जाति बैरवा हिस्सा के हिस्से मे ख0नं0 175/1 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं0 236 रकबा 11 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 01 बीघा 05 बिरवा रहेगा।
2. प्रतिवादी सं0 5 रामलड्डू पुत्र घूड्या जाति बैरवा हिस्सा के हिस्से मे खसरा नं0 175/3 रकबा 10 बिस्वा रहेगा।
3. प्रतिवादी सं0 1 ता 3 बबलू, पिन्दू पि0 कल्याण, कमला पत्नि स्व0 कल्याण के हिस्से मे खसरा नं0 175/4 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 236/1 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा रहेगा।
4. प्रतिवादी सं0 4 बत्तीलाल पुत्र सुन्दर जाति बैरवा के हिस्से मे खसरा नं0 175/5 रकबा 12 बिस्वा रहेगा।
5. प्रतिवादी सं0 6 व 7 रुकमणि पत्नि बत्तीलाल, कलावती पत्नि किशनलाल के हिस्से मे खसरा नं0 236/2 रकबा 11 बिस्वा रहेगा।
6. प्रतिवादी सं0 8 बाबूलाल पुत्र लक्ष्मण लाल जाति बैरवा के हिस्से मे खसरा नं0 236/3 रकबा 10 बिस्वा रहेगा।

बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिक्री का जुज रहेगा। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

Note - पत्रांक 14 का नाम बत्तीलाल पुत्र सुन्दर (बैरवा के स्थान पर बत्तीलाल पुत्र सुन्दर जाति बैरवा का अर्थ है)

पीठासीन अधिकारी (एस.डी.एम)  
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"  
सपोटरा जिला करौली (राज0)

8/11/15

वकील फीकिन उपर पूर्ववृत्तवा वाले जवाब तथा कहल डरु दिनांक 15/11/17 को केस हे।  
Riy

15/11/17

वकील फीकिन उपर वकील दादी ने प्राथम्यता का जवाब पेश किया जिलकी नकल दिनांक 22/11/17 को केस हे।  
Riy

22/11/17

वकील फीकिन अग कहल कार्यवाही पर मतन किया अन्तर्गत पत्रावली का कवलोकन कि अग पत्रावली में अन्तर्गत कार्यवाही में अंतित मु.नं. 53/13 की सिचाराधीन पत्रावली का कवलोकन किया गया। इत प्रकार काय खफ तह. लपोरश की आयजी एन.नं. 175/1 एका 2 कीका 08 सिखा व एन.नं. 236 एका 2 कीका 03 सिखा पर अन्तर्गत धारा 53 के 188 आर.सी एक्ट के तहत समान पत्रावली के बीच पूर्व में ही सिचाराधीन होना लाइमनेडी के ज्ञात है। इत एका भी ग्राम खानदा की आयजी एन.नं. 175/1 एका 2 कीका 08 सिखा पर समान पत्रावली के बीच अन्तर्गत धारा 53/188 आर.सी एक्ट में एलवी के ज्ञात सिचाराधीन है। इनपिछ दोनों केसों को लाफ-लाफ चलाना अनिमोचित नहीं है। अतः कार्यवाही अन्तर्गत धारा 10 एफ.ए. आंग्रिक रूपले एकीकृत किमिआद इत एका की अन्तर्गत लकी कार्यवाही एकीकृत की जाती है तथा इत एका एका के पूर्ववर्ती एका एन.नं. 53/13 के एका हमे एका किमिआद के जोडें सिचाराधीन है। अतः पत्रावली के लाल प्रमाण हीना नाम से एका। Riy